



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-06072023-247110
CG-DL-E-06072023-247110

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (iii)
PART II—Section 3—Sub-section (iii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 23]
No. 23]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 6, 2023/आषाढ़ 15, 1945
NEW DELHI, THURSDAY, JULY 6, 2023/ASHADHA 15, 1945

भारत निर्वाचन आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 जुलाई, 2023

आ.अ. 23(अ).—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 (1951 का 43) की धारा 21 के अनुसरण में और धारा 22 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत निर्वाचन आयोग, पश्चिम बंगाल राज्य सरकार के परामर्श से एतद्वारा तारीख 6 जुलाई, 2023 को राज्य के शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आयोग की अधिसूचना के अनुसरण में इस राज्य से राज्य सभा के लिए होने वाले उप निर्वाचन के संबंध में एतद्वारा—

(i) नीचे की सारणी के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट अधिकारी को रिटर्निंग ऑफिसर के रूप में पदाभिहित करता है; और

(ii) उक्त सारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट अधिकारी को रिटर्निंग आफिसर की उसके कृत्यों के पालन में सहायता के लिए सहायक रिटर्निंग आफिसर नियुक्त करता है।

सारणी

रिटर्निंग आफिसर के रूप में पदाभिहित अधिकारी	सहायक रिटर्निंग आफिसर के रूप में नियुक्त अधिकारी
(1)	(2)
श्रीमती स्वस्ति आचार्य, संयुक्त सचिव-सह-समिति अधिकारी, पश्चिम बंगाल विधान सभा	श्री शांतनु दास, उप सचिव, पश्चिम बंगाल विधान सभा,

[फा. सं.100/रा.स.-पश्चिम बंगाल/01/2023 (2)]

आदेश से,

सुमन कुमार दास, सचिव

ELECTION COMMISSION OF INDIA**NOTIFICATION**

New Delhi, the 6th July, 2023

O.N. 23(E).—In pursuance of Section 21, and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 22 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission of India, in consultation with the Government of the State of West Bengal, hereby-

- (i) designates the officer, specified in column (1) of the TABLE below, to be the Returning Officer; and
- (ii) appoints the officer, specified in column (2) of the said TABLE, to be the Assistant Returning Officer to assist the Returning Officer in the performance of her functions;

in respect of the bye-election to the Council of States, to be held in the State in pursuance of the Commission's Notification, published in the Gazette of India on 06th July, 2023: -

TABLE

Officer Designated as Returning Officer	Officer Appointed as Assistant Returning Officer
(1)	(2)
Smt. Swasti Acharya, Joint Secretary -cum-Committee Officer, West Bengal Legislative Assembly.	Shri Santanu Das Deputy Secretary, West Bengal Legislative Assembly

[F. No. 100/CS-West Bengal/01/2023 (2)]

By Order,

SUMAN KUMAR DAS, Secy.